प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 16.12.2024

- **जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कडी कार्यवाही के क्रम में हत्या की घटना कारित करने वाले 01 नफर अभियुक्त को थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना रसूलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0334/2024 धारा 302 भा.द.वि. में वांछित था अभियुक्त।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, वादिनी श्रीमती रेखा देवी पत्नी स्व0 राजवीर सिंह निवासी गपचरियापुर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात के पति राजवीर सिंह की हत्या होने के सम्बन्ध में दिनांक 09.08.2024 को थाना रसूलाबाद पर दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 334/2024 धारा 302 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या की घटना कारित करने वाले नामजद व काफी समय से फरार चल रहे वांछित **अभियुक्त पवन दुबे पुत्र स्व0 कृपाशंकर निवासी ग्राम मिर्जापुर लकोठिया थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को आज दिनांक 16.12.2024 को समय 11.23 बजे कठिका बुझवा मोड़ कानपुर रोड थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात** से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

पवन दुबे पुत्र स्व0 कृपाशंकर निवासी ग्राम मिर्जापुर लकोठिया थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात उम्र लगभग 32 वर्ष।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त पवन दुबे पुत्र स्व0 कृपाशंकर निवासी ग्राम मिर्जापुर लकोठिया थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात ने पूछने पर बताया कि मैं खेती बाड़ी व जानवर पालने का काम करता था। गपचरियापुर का राजवीर सिंह पुत्र भारत सिंह मेरा अच्छा दोस्त था तथा हम लोग साथ उठते-बैठते थे व साथ खाते-पीते थे। राजवीर सिंह भगत था तथा झाड़ फूँक और जादू टोना करता था। राजवीर सिंह ने मेरे भाई रजनीश की शादी बिहार की माला नाम की महिला से करायी थी। माला लगभग डेढ़ वर्ष गाँव में रही थी फिर चली गयी थी। पहले मेरे भाई रजनीश की मृत्यु हुई फिर रविशंकर की मृत्यु हुई। राजवीर सिंह ने मेरे ऊपर वशीकरण कर लिया था तथा मैं उसके पीछे पीछे घूमता था तथा जब वह चाहता था मुझे बुला लेता था। हम लोग साथ दारु पीते थे व चिलम भी लगाते थे। मेरे खेत जोरन के पास हैं तथा वहीं पास में खाली जगह है जहाँ हम लोग अकसर देर शाम को बैठते थे व दारु पीते थे। 28 जून 2024 को राजवीर सिंह ने मुझसे अगले दिन ककवन बैंक चलकर क्रेडिट कार्ड का पैसा निकलवाने के लिए चलने के लिए कहा था परन्तु मैं अगले दिन 29 जून 2024 को बरसात होने के कारण ककवन नहीं जा पाया था। शाम करीब 06.30 बजे राजवीर सिंह मुझे गाँव के बाहर सड़क पर मिला उस समय राजवीर नशे में था तथा मुझसे कुछ ऐसे शब्द बोले कि मैं उसके बाद जाने को मजबूर हो

गया तथा मैं उसके साथ शराब ठेका जाने को तैयार हो गया। मिश्रीपुर ठेके में मेरे गाँव का मोनू तिवारी सेल्समेन है जहाँ से मैं दो क्वार्टर देशी शराब लेमन, पानी के दो पाऊच व प्लास्टिक के दो गिलास लेकर अपने खेत के पास जोरन पर आया जहाँ पर राजवीर सिंह मुझे पहले से मौजूद मिले। हम दोनों लोगो ने शराब पी और मूंग दाल खायी। इसके बाद हम लोगों में बातचीत होने लगी तथा कहने लगा की मैंने एक पण्डित को जूते में पेशाब डाल कर पिलायी थी। यह भी कहने लगा की तुम्हारे दो भाईयों का जो हाल हुआ है वही हाल तुम्हारा करुंगा। इसके बाद राजवीर सिंह ने मुझे उठाकर जमीन पर पटक दिया जिससे मेरे सिर के ऊपर चोट लग गयी तथा बोला कि आज मैं तुमको जिन्दा नहीं छोडूंगा। मैं उठकर राजवीर सिंह को पकड़ लिया तथा हम लोगों में छीनाझपटी व गुथ्थम गुथ्था होने लगी। मुझे लगा कि आज मैं नही बचूंगा तब मैंने राजवीर सिंह की हत्या करने के लिए उसे सड़क किनारे नाली में भरे पानी में गिरा दिया तथा उसका चेहरा पानी में डूबो दिया। यह बात लगभग रात 08.00 से 08.30 बजे के आसपास की है। इसके बाद मैंने राजवीर सिंह की जेब से उसका आधार कार्ड निकालकर अपनी साईकिल से मिश्रीपुर ठेका गया तथा एक शराब का क्वार्टर लेकर पिया था। इसके बाद मुझे ज्यादा नशा हो गया तब मैंने मोनू से अपने साथ ले चलने के लिए कहा था। थोड़ी देर बाद गाँव का गुड्डू कुशवाहा बाइक से आ गया, जो विषधन शराब ठेके में सेल्समेन है। फिर मैं व मोनू, गुड्डू की बाइक पर बैठकर गाँव के लिए चले। घटनास्थल जोरन से थोड़ा आगे मैं बाइक से उतर गया था तथा मोनू तिवारी गाँव से उसको लेने आ रहे रुचि के साथ बाइक से गाँव चले गये थे। मैं मौके पर यह जानने के लिए गया था कि राजवीर सिंह कहीं जिन्दा तो नहीं है। मौके पर जाकर देखा तो राजवीर की मृत्यु हो चुकी थी। फिर मैं पैदल पैदल अपने घर आया तथा मोनू तिवारी के घर के बाहर लगे हैण्ड पम्प पर हाथ मुँह धोने के लिए चलाने लगा। इतने में मोनू तिवारी आ गये जिनसे मैंने राजवीर सिंह की हत्या करने की बात बतायी थी। फिर मैं स्कूल के पास अपने घेरा चला गया था जहाँ जानवर बाँधे जाते हैं। जब मेरा नशा उतरा तो मुझे लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गयी तथा पकड़ा जाऊंगा। इस डर से मैं गुरुग्राम हरियाणा भाग गया था तथा तब से वहीं रह रहा था। बीच में मेरी बात एक बार माँ से व एक बार बहन से हुई थी तब मेरी माँ व बहन ने मुकदमा लिखने की बात बताते हुए मुझसे हाजिर हो जाने के लिए कहा था। तब मैं कल सुबह दिल्ली से बस में बैठकर शिवली उतरकर बहन-बहनोई के यहाँ बिकरु गया था तथा आज मैं थाना आने के लिए बिकरु से निकला था तथा रसूलाबाद से पहले कठिका बुझवा मोड़ के पास मन्दिर में पूजा व दर्शन करने के लिए उतर गया तथा पूजा व दर्शन करने के बाद सवारी के इन्तजार में मोड़ के पास पुलिया पर बैठा था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे पास से आपने राजवीर सिंह का आधार कार्ड बरामद किया। राजवीर का आधार कार्ड मैंने उसकी हत्या के बाद जेब से निकाल लिया था।

मुकदमा उपरोक्त में शेष अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>गिरफ्तारी करने वाली थाना रसूलाबाद पुलिस टीम-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अनिल कुमार
2. व0उ0नि0 श्री राम सिंह
3. उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह
4. हे0का0 229 मोहित कुमार